

परिशिष्ट— तीन

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्रारूप "अ"**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा****सेवा प्रमाण-पत्र**

अद्यतन
पासपोर्ट साइज
का संचालक
द्वारा
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. पिता/पति

ने दिनांक से दिनांक की अवधि में कुल वर्ष.....माह तक

चिकित्सक/शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

(दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र)में निर्बाध सेवा प्रदान की है ।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को, जिनका नीट प्राप्तांक है के, प्राप्तांक का लागू बोनस प्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में)..... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे, जिन्होंने संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन सेवारत चिकित्सक के रूप में परीक्षा वर्ष की नीट पीजी परीक्षा तिथि तक छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित के 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे ।

**संचालक
चिकित्सा शिक्षा**

परिशिष्ट – चार

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्रारूप “ब”

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सेवा प्रमाण-पत्र

अद्यतन
पासपोर्ट साइज
का संचालक
द्वारा
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. पिता/पति.....ने
दिनांक.....से दिनांक.....की अवधि में कुल वर्ष.....
.....माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध
सेवा प्रदान की है।

(क) विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(ख) विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(ग) विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(घ) विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक
है, को प्राप्तांक का लागू बोनस प्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में)..
..... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित
सेवांक की पात्रता है।

नोट : वे “सेवारत अभ्यर्थी” ही पात्र होंगे, जिन्होंने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सेवारत चिकित्सक के
रूप में परीक्षा वर्ष की नीट पीजी परीक्षा तिथि तक छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित
कें 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
परिशिष्ट— पाँच

(250/- के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य-
शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)